

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला-झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
राजस्व वाद संख्या 69/2022

1. श्रवण कुमार पुत्र धुडाराम जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुनू  
-वादीगण

बनाम

1. धुडाराम पुत्र मूलाराम
2. केशरी देवी धुडाराम
3. सरदार पुत्र धुडाराम
4. संजय कुमार पुत्र धुडाराम
5. शारदा पुत्री धुडाराम
6. केशर देव पुत्र प्रभूदयाल
7. छोटूराम पुत्र गुलाराम
8. मूलाराम पुत्र गुलाराम समस्त जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ
9. भैरू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ
10. करणी सिंह पुत्र रणजीत सिंह
11. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह
12. भंवर सिंह पुत्र रणजीत सिंह
13. गजराज कंवर पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ, जिला झुझुनू
14. मूलचन्द पुत्र गोनीलाल जाति जांगिड निवासी चिराना तहसील नवलगढ, जिला झुझुनू
15. सुवादेवी पत्नी मूलाराम सैनी जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अं० धारा 212 रा०का०अ० व आर्डर 39 नियम 1 व तथा  
धारा 151 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्वर्तिय - आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी व धारा 151 सीपीसी वास्ते अबेट करने वाद पत्र

वकील वादी/अप्रार्थी-श्री विजेन्द्र सिंह दूत

वकील प्रतिवादी/प्रार्थी -श्री राजीव सिंह शेखावत, श्री विकास सैनी

आदेश

दिनांक 12.12.2025

प्रतिवादी सं. 6 केशर देव की और से जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 नियम 4(3) सीपीसी तथा 151 सीपीसी बाबत अबेट करने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि, उनवानी प्रकरण में प्रतिवादीया नं. 15 सुवा देवी पत्नी मूलाराम सैनी का देहान्त दिनांक 12.03.2024 को हो चुका है कानूनन किसी पक्षकार का देहान्त होने पर उसके वारिसान को 90 दिन के अन्दर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है लेकिन आज दिनांक तक प्रतिवादीया नं. 15 सुवा देवी पत्नी मूलाराम सैनी के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है ना ही वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। इसलिए वादी का वाद अबैत/उपशमित हो चूका है, जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी नं. 15 का देहान्त हुवे करीब 15 माह का समय व्यक्ति हो चूका है, लेकिन आज दिनांक तक प्रतिवादी नं. 15 के वारिसानो को रिकॉर्ड पर लेने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है जबकि निर्धारित 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के यहां पेश किया जाना आवश्यक था इसलिये

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक, नवलगढ

वादी का का वाद अबैट हो चुका है तथा खारिज होने योग्य है। किसी पक्षकार का देहान्त होने पर अगर 90 दिवस के भीतर उसके कायम मुकाम पेश नहीं किये जाते हैं तो वाद स्वतः ही अबैट हो जाता है तथा उसके बाद उक्त अबैटमेंट/उपशमन को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश करने की मियाद 60 दिन है लेकिन वादी की ओर से आज दिनांक तक ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र पेश कर कायम मुकाम बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये वादी का वाद अबैट होने से खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय न्यायालय में प्रतिवादी नं. 15 की मृत्यु बाबत सूचना दे दी थी जो माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.03.2024 पर दर्ज है जिसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश करने व तलबी के लिये वादी को अंतिम अवसर दिया जा चुका है व उसके बाद दिनांक 06.06.2024 को 50/- रूपयें कोस्ट पर कायममुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिये न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया था उसके बाद दिनांक 18.11.2024 व दिनांक 11.03.2025 की तारीख पेशी पर भी वादी द्वारा कोई कायम का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया ना ही कोई कार्यवाही की है इसलिये वादी का वाद स्वतः ही अबैट हो चुका है जो खारिज किया जाये।

प्रा. पत्र की नकल वकील वादी को दी जाकर प्रा. पत्र जवाब चाहा गया। वकील वादी ने जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस का निवेदन किया। वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा अपने कथनों के समर्थन में RLW 2003 I -599, RRD 1999 -399, RLW 2005-II -949, RLW 2012 III- 1959, DNJ 2002 II- 501 हवाला देते हुये प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी ने विरोध करते हुये कथन किया प्रा.पत्र बाबत अबैट करने वाद खारिज किया जावे। कायममुकाम प्रा0 पत्र पेश किया जा चुका है, ज्यादा डिले नहीं हुआ है। वैसे भी डिले को कोर्ट सू-मोटो कण्डोन कर सकता है। वादी ग्रामीण परिवेश के हैं जिन्हें ज्यादा कानून जानकारी नहीं थी। वैसे भी जैसे ही वादी को जानकारी हुई प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 का पत्रावली पर पेश कर दिया गया है। वारिसान की जानकारी होने पर प्रा. पत्र पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा उद्वरण अपनी नजीरो में दिये हैं वो वैसे भी इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इसलिये दावा अबैट करने का यह प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान वकूलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 22.03.2024 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी सं. 15 की फौत होना जाहिर कर दिया था तथा आदेशिका दिनांक 13.05.2024 में अंतिम अवसर दिया गया था। आदेशिका दिनांक 06.06.2024 में भी 50/- कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था। तदपश्चात् आदेशिका 18.07.2024, 27.08.2024, 14.10.2024, 12.12.2024, 24.01.2025, 13.02.2025, 11.03.2025, 15.04.2025, 05.05.2025, में अवसर दिये गये हैं। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि वादी पक्ष द्वारा आदेशिका पर अंकन के उपरान्त करीब 13 महीने बाद तक प्रा. पत्र कायममुकाम का पेश नहीं किया है। जबकी पक्षकार की फौत होने की इत्तला आदेशिका पर दिनांक 22.03.2024 को अंकित हो चुकी थीयानि वादी पक्ष को प्रतिवादी सं. 15 की फौत होने की जानकारी थी। जबकी कानून 90 दिवस में किसी पक्षकार की फौत होने पर उचित प्रा. पत्र पेश न्यायालय किया जाना आवश्यक होता है। तदपश्चात् अबैटमेंट निरस्त करवाने हेतु 60 दिवस की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। इस सम्बन्ध में वादी पक्ष न्यायालय को उक्त अवधि में अन्य कोई पर्याप्त कारण/प्रार्थना पेश करने भी असमर्थ रहे हैं। नियमानुसार वादी का वाद 90 दिवस में स्वतः अबैट/उपशमन हो जाता है। वादी पक्ष इस प्रा.पत्र अन्तर्वर्तिय में उठाये गये तथ्यों तथा प्रा. पत्र कायममुकाम को पेश न्यायालय में होने वाली देरी के लिये कोई उजर/विधिअनुकुल जवाब पेश करने में भी असमर्थ रहे हैं।

लिहाजा प्रतिवादी सं. 06 द्वारा प्रस्तुत उक्त अन्तर्वर्तिय प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी व धारा 151 सीपीसी वास्ते अबैट करने वाद पत्र का पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अबैट/उपशमन होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 04.06.2025 को वादी की ओर से पेश प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी, 151 सीपीसी की सुनवाई व बहस इस प्रा. पत्र के साथ ही की गई है तथा न्यायगत की जाकर, वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी, 151 सीपीसी का खारिज किया जा चुका है, जिसका विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया है। वाद वादी अबैट/उपशमन होने से खारिज किया जाता है, इसलिये पत्रावली फैसल

महायुक्त क्लर्क एव कायपालक  
कॉर्टस्ट. एडमि. सेक. नबालगढ़



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ, जिला-झुझुंनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 69/2022  
जीसीएमएस नं. 2022/200

CA  
29

1. श्रवण कुमार पुत्र धूडाराम जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

-वादीगण

बनाम

1. धुडाराम पुत्र मूलाराम
2. केशरी देवी धुडाराम
3. सरदार पुत्र धुडाराम
4. संजय कुमार पुत्र धुडाराम
5. शारदा पुत्री धुडाराम
6. केशर देव पुत्र प्रभूदयाल
7. छोटूराम पुत्र गुलाराम
8. मूलाराम पुत्र गुलाराम समस्त जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ
9. भैरू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ
10. करणी सिंह पुत्र रणजीत सिंह
11. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह
12. भंवर सिंह पुत्र रणजीत सिंह
13. गजराज कंवर पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
14. मूलचन्द पुत्र गोनीलाल जाति जांगिड निवासी चिराना तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
15. सुवादेवी पत्नी मूलाराम सैनी जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

-प्रतिवादीगण

प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अं० धारा 212 रा०का०अ० व आर्डर 39 नियम 1 व तथा

धारा 151 सीपीसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्वर्तिय - आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी

वकील वादी/प्रार्थी-श्री विजेन्द्र सिंह दूत

वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी -श्री राजीव सिंह शेखावत, श्री विकास सैनी

आदेश

दिनांक 12.12.2025

वादी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 नियम 4 सीपीसी तथा 151 सीपीसी का इस कदर पेश किया गया कि, प्रार्थी वादी को प्रतिवादिया संख्या 15 की मृत्यु हो जाने की पहले से जानकारी नहीं थी। प्रार्थी वादी व प्रतिवादिया संख्या 15 की घर गुवाड़ी अलग-अलग काफी दुरी पर स्थित हैं इस कारण प्रार्थी वादी को प्रतिवादिया संख्या 15 की मृत्यु होने का पहले कोई ईल्म नहीं था हालांकि उक्त मृतक प्रतिवादिया संख्या 15 की तरफ से वकील श्री राजीव सिंह शेखावत उपस्थित हो रहे हैं जिनहोंने पूर्व तारीख पेशी को प्रार्थी वादी के वकील को अवगत करवाया तब प्रार्थी वादी के वकील साहब ने उनको आज से करीब 5-7 रोज पहले मोबाईल पर बताया कि प्रतिवादिया संख्या 15 की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना है। इसलिए प्रार्थी वादी को प्रथम बार प्रतिवादियासंख्या 15 की मृत्यु होने का पता चलने पर तमाम जानकारी प्राप्त करके उक्त कायम मुकाम का

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक, नवलगढ

प्रार्थना-पत्र तुरन्त ही सेवामें पेश किया जा रहा है। यह कि उक्त वाद-पत्र घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती व विक्रय-पत्र निरस्त करवाने बाबत पेश किया है जिसके सम्बन्ध में पक्षकारान के कानूनी अधिकार तैय होने हैं। इसलिए सभी आवश्यक पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाकर एवं मृतक के वारिसान को पक्षकार जोड़े जाकर विधि समत निर्णय पारित किया जाना उचित है। इस प्रकार उक्त मृतक प्रतिवादिया संख्या 15 के वारिसान को पक्षकार जोड़ा जाकर रिकार्ड पर लिया जाना जरूरी व न्याय संगत है। यह कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने में थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है तो न्यायिक रूप से छुट प्रदान किया जाना न्याय संगत है। और थोड़े बहुत विलम्ब के लिए पक्षकारान को दण्डित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रार्थी वादी ने उक्त मृतक के बारे में पता चलने पर तुरन्त ही प्रार्थना-पत्र पेश किया है तथा जान बुझकर कोई विलम्ब व गलती नहीं की है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। यह कि उक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी वादी को प्रतिवादिया संख्या 15 की मृत्यु होने की प्रथम बार जानकारी होने पर तुरन्त ही अन्दर मियाद सेवामें पेश किया जा रहा है। प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी वादी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादिया संख्या 15 सुवा देवी के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 15/1 लगायत 15/7 को पक्षकार जोड़ा जाकर रिकार्ड पर लिया जाने की कृपा करें तथा मृतक के वारिसान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके उक्त प्रकरण का विधि समत निर्णय किया जावे जिससे प्रार्थी वादी के साथ न्याय हो सके।

प्रा. पत्र कि नकल वकील प्रतिवादी को दी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा निम्न प्रकार से जवाब प्रा. पत्र पेश किया गया :- प्रार्थना-पत्र की धारा 1 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 15 सुवा देवी का दिनांक 12.03.2024 का स्वर्गवास होना स्वीकार है वादी द्वारा मियाद बाहर प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। प्रार्थना-पत्र की धारा 2 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। यह तथ्य गलत होने से अस्वीकार है कि वादी को प्रतिवादीया संख्या 15 की मृत्यु बाबत पूर्व में जानकारी नहीं हो, यह तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 15 की घर गुवाडी अलग-अलग काफी दूर पर स्थित हो, जबकी वास्तविक व सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीया संख्या 15 सुवा देवी का दिनांक 12.03.2024 को देहान्त हुआ तब से वादी को इस बाबत पूर्ण जानकारी थी तथा माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.03.2024 में भी सुवा देवी की मृत्यु बाबत सूचना दे दी गई थी तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिये वादी को अंतिम अवसर दिया जा चुका था व उसके बाद दिनांक 06.06.2024 को 50/- रूपयें कोस्ट पर कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिये न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया था उसके बाद दिनांक 18.11.2024 व दिनांक 11.03.2025 की तारीख पेशी पर भी वादी द्वारा कोई कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है इसलिये वादी का वाद अबैत हो चुका है और खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना-पत्र की धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा वादी को कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिये काफी अवसर दिये जा चुके हैं लेकिन वादी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है ना ही डिले कण्डोन करने के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है ना ही प्रार्थना-पत्र किस कारण से देरी से प्रस्तुत किया गया है का कोई स्पष्ट उल्लेख किया है इसलिये वादी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना-पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने स्वयं ने प्रार्थना-पत्र को अन्दर अवधि नहीं होना स्वीकार किया है मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना पड़ता है मियाद अधिनियम के अनुसार 90 दिवस की निश्चित समयावधि है यदि उक्त अवधि में प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया जाता है तो वाद-पत्र स्वतः अबैत हो जाता है इसलिये वादी का वाद स्वतः अबैत हो चुका है वादी ने अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने के लिए भी कोई आवेदन पेश नहीं किया है। मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 121 के तहत वाद पत्र अबैट होने के पश्चात 60 दिवस के अन्दर अन्दर अबैटमेन्ट को निरस्त करने की कार्यवाही कानूनन की जा सकती है जबकि वादी ने दावा अबैट होने के लगभग 12 माह बाद प्रार्थना-पत्र बाबत कायम मुकाम पेश किया है जो भारी हर्जे खर्चे सहीत खारीज होने योग्य है प्रा. पत्र कायम मुकाम का खारीज किया जावे।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा कायम मुकाम प्रा. पत्र पेश किया जा चुका है, ज्यादा डिले नहीं हुआ है। वैसे भी डिले को कोर्ट सू-मोटो कण्डोन कर सकता है। वादी ग्रामीण परिवेश के है जिन्हे ज्यादा

महायुक्त कानूनकर एवं कायपालक  
प्रिन्ट. फाल्. टैक. नव. गल्ल

कानून जानकारी नहीं थी। वैसे भी जैसे ही वादी को जानकारी हुई प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 का पत्रावली पर पेश कर दिया गया है। वारिसान की जानकारी होने पर प्रा. पत्र पेश किया गया है। इसलिये उक्त प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी तथा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादिया संख्या 15 सुवा देवी के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 15/1 लगायत 15/7 को पक्षकार जोड़ा जाकर रिकार्ड पर लिया जावे। वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा प्रा. पत्र कायम मुकाम पेश करने मे हुये विलम्ब के लिये RLW 2003 I -599, RRD 1999 -399, RLW 2005-II -949, RLW 2012 III- 1959, DNJ 2002 II- 501 हवाला देते हुये वाद वादी के अबेट होने पर प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी तथा 151 सीपीसी का खारीज किये जाने तथा वाद वादी इसी स्तर पर खारीज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी,151 सीपीसी के तहत अपनी दरखास्त का भी अवलोकन करवाया गया।

विद्वान वकूलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 22.03.2024 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी सं. 15 की फौत होना जाहिर कर दिया था तथा आदेशिका दिनांक 13.05.2024 में अंतिम अवसर दिया गया था। आदेशिका दिनांक 06.06.2024 में भी 50/- कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था। तदपश्चात् आदेशिका 18.07.2024, 27.08.2024, 14.10.2024, 12.12.2024, 24.01.2025, 13.02.2025, 11.03.2025, 15.04.2025, 05.05.2025, में अवसर दिये गये है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि वादी पक्ष द्वारा आदेशिका पर अंकन के उपरान्त करीब 13 महीने बाद तक प्रा. पत्र कायममुकाम का पेश नहीं किया है। जबकी पक्षकार की फौत होने की इत्तला आदेशिका पर दिनांक 22.03.2024 को अंकित हो चुकी थी अतः वादी पक्ष को प्रतिवादी सं. 15 की फौत होने की जानकारी थी। जबकी कानून 90 दिवस में किसी पक्षकार की फौत होने पर उचित प्रा. पत्र पेश न्यायालय किया जाना आवश्यक होता है। तदपश्चात् अबेटमेन्ट निरस्त करवाने हेतु 60 दिवस की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। इस सम्बन्ध मे वादी पक्ष न्यायालय को उक्त अवधि में अन्य कोई पर्याप्त कारण/प्रार्थना पेश करने भी असमर्थ रहे है। नियमानुसार वादी का वाद 90 दिवस में स्वतः अबेट/उपशमन हो जाता है। वादी पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र को न्यायालय के समक्ष पोषणीय व न्यायोचित साबित करने में असमर्थ रहे है।

लिहाजा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त अन्तर्वर्तिय प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का मियाद बहार पेश होने,पोषणीय व न्यायोचित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 04.06.2025 को प्रतिवादी सं. 6 की ओर से पेश प्रा० पत्र आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी,151 सीपीसी "बाबत् अबेट किये जाने वाद" की सुनवाई व बहस इस प्रा. पत्र के साथ ही की गई है तथा न्यायगत की जाकर, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी,151 सीपीसी "बाबत् अबेट किये जाने वाद"स्वीकार किया गया है, जिसका विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया है। वादी पक्ष कि और से पेश प्रा. पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का खारीज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय/आदेश प्रा० पत्र अन्तर्वर्तिय आज दिनांक 12.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )  
सहायक न्यायाधीश (प्राथमिक) न्यायालय  
(फास्ट ट्रैक) न्यायालय जिला न्यायालय